न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 03/2022

1. राजरानी उर्फ राजकौर पुत्री हुकम सिंह पत्नी गुरदीप सिंह जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजसिंह पुत्र श्री हुकम सिंह जाति अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नक्षत्र सिंह पुत्र हुकम सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवन्त सिंह पुत्र हुकम सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. पंकज सिंह पुत्र आत्मा सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. जसवीर कौर पुत्री आत्मा सिंह अरोड़ा निवासी 16 जी छोटी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. सीमा उर्फ इन्दु पुत्री आत्मा सिंह पत्नी विकास छाबडा निवासी नजदीक 886 अशोक नगर बी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार चुनावढ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार चूनावढ दिनांक 26.06.2020 जिसकी रूह से इंतकाल तस्दीक किया गया वह आदेश दिनांक 22.06.2020 को विरासत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया।

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री बलकरण सिंह बराड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांक :–04.07.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि हुक्म अदालत महतात का गैरकानूनी है जो दोबारा गौर मिसल के है। अपीलांट के पिता हुकम सिंह पुत्र शेर सिंह को भारत सरकार द्वारा चक 16 जी छोटी मुरब्बा नम्बर 38 में 12–1/2 बीघा व मुरब्बा नम्बर 40 में 12–1/2 बीघा कुल 25 बीघा रकबा जीवों के आधार पर अलाट किया गया था। बरवक्त अलाटमेंट में हुकम सिंह खुद, बरामा बाई माता, शान्ता बाई पत्नी, कौशल्या बाई बहन , चार जीवों के आधार पर रकबा अलाट किया गया था। सैटलमेन्ट ऑफिसर द्वारा बाद में 02.04.1997 को मुरब्बा नम्बर–38 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 40 में 24–1/2 बीघा अलाट किया गया। अलाटमेंन्ट के अनुसार हुकम सिंह 1/4 हिस्सा बनता है तथा तमाम किश्त भरने के बाद दिनांक 31.08.1974 को इस रकबे की सनद संख्या 10311 जारी की गयी। इसलिए हुकम सिंह को 12–1/2 बीघा रकबा की वसीयत करने का अधिकार नहीं था। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष मौजूद थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। हुकम सिंह का स्वर्गवास दिनांक 13.06.1996 को हो गया था, लेकिन प्रार्थना पत्र इन्तकाल का 2020 को पेश किया गया यदि रेस्पोडेन्ट के नाम कोई वसीयत होती तो उसी समय वसीयत के आधार पर अपने नाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था लेकिन उन्होने ऐसा ना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करके कानूनी भूल की है। तथाकथित जो वसीयत की गयी है हालांकि हुकम सिंह को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था ना ही वसीयत के आधार पर इन्तकाल किया जा सकता था क्योंकि वसीयत में जमीन के अलावा अन्य मकान आदि की भी वसीयत थी जबकि वसीयत के आधार पर सारी सम्पति का ही इन्तकाल किया जा सकता था ऐसी वसीयत के आधार पर सिविल न्यायालय में प्रोबेट जारी किया जाना चाहिए था लेकिन उन्होने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। वसीयत के आधार पर जो इन्तकाल किया गया है उसमें अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही सिविल प्रकिया के नियम की पालना नहीं की गयी क्योंकि पूर्व में अपीलांट को नोटिस देना चाहिए था अगर नोटिस की तामील ना होती तो रजिस्ट्री द्वारा लिफाफा भेजा जाना चाहिए था अगर फिर भी तामील ना होती तो आदेश 5 नियम 17 के तहत अखबार में साया करवाया जा सकता था मगर उन्होने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। हालांकि अपीलांट व अपीलांट की माता व अपीलांट के भाईयों के बीच में आपसी में यह तय किया गया था जब तक माता जीवित है तब तक आप हिस्सा ना लें। माता की मृत्यु के बाद आपको आपका हिस्सा दे देगें लेकिन अपीलांट की माता की मृत्यु के बाद उन्होने छुपछुपाते इन्तकाल अपने नाम करवा लिया। इन्तकाल करवाने के बाद ही अपीलांट को इन इन्तकालों का पता चला। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह भी विधिनुसार पेश नहीं किया गया जबकि प्रार्थना पत्र में वंशावली व वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जबकि इनके द्वारा सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किया गया है ऐसा करके कानूनी भूल की है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि अपीलांट को नोटिस दिया जाता तो अपीलांट अपना तमाम सबूत पेश करता इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्राकृतिक व न्यायिक सिद्वान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 उप तहसीलदार चूनावढ का निरस्त करने का आदेश दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिववक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटा के पिता हुकम सिंह पुत्र शेर सिंह को भारत सरकार द्वारा जीवों के आधार पर चक 16 जी छोटी मुरब्बा नम्बर 40 में 25 बीघा रकबा जीवों के आधार पर अलाट किया गया था हुकम सिंह (स्वयं) भरमा बाई (माता) शान्ता बाई (पत्नी) कौशल्या बाई (बहन)। उपरोक्त रकबा की खातेदारी सनद दिनांक 31.08.1974 को जारी की गयी थी। हुकम सिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.03.1996 को हो गया था व भरमा बाई का स्वर्गवास दिनांक 28.02.1997 को हो गया था। मृत्यु होने बाद दिनांक 01.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र राजा सिंह द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि भरमा बाई की मृत्यु से पूर्व दिनांक 22.02.1992 में अपने पोतों के हक में वसीयत की थी तथा हमारे पिता ने दिनांक 03.09.1994 को वसीयत कर दी है। वसीयत के आधार पर हमारे नाम से इन्तकाल किया जावें। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का जोधेवाला से रिपोर्ट तलब की। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.10.2019 को रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.10.2019 को उप तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार द्वारा राजा सिंह पुत्र हुकम सिंह प्रकरण संख्या 06/2019 दर्ज किया गया तथा दिनांक 08.11.2019 को पत्रावली दर्ज करके वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति हेतू व साक्ष्य हेतू सीधा अखबार में साया करने का आदेश पारित करके तारीख पेशी दिनांक 29.11.2019 दर्ज की गयी एवं दिनांक 29.11.2019 बिना प्रकाशन किये ही गवाह अशोक कुमार पुत्र श्री बिशनदास, श्याम लाल पुत्र चम्बा राम के ब्यान लिये गये। तारीख पेशी दिनांक 23.12.2019 मुकर्रर की गयी जिसमें कांट छांट करके आगे तारीख पेशी दिनांक 06.01.2020 मुकर्रर की गयी। आगे तारीख पेशी लेकर दिनांक 22.06.2020 निर्णय कर दिया गया जबकि अपीलांट को कोई नोटिस व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि नियम के तहत अपीलांट को नोटिस दिया जाता जबकि जो राजा सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विधिनुसार ना होने के कारण खारिज करने योग्य था क्योंकि उस प्रार्थना पत्र में हुकम सिंह के सभी वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिए था तथा भरमा बाई के वारिसान को भी दर्ज किया जाना चाहिए था, ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा तथाकथित वसीयत पेश की गयी है वह सही नहीं थी। हुकम सिंह के नाम 1/4 हिस्सा था उसे 12 बीघा की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए भी कानूनन वसीयत गलत थी तथा ना ही वसीयत को साबित किया गया है क्योंकि नियम के तहत जिस व्यक्ति के हक में वसीयत की गयी है उसे अपने ब्यानों में वसीयत को साबित करना तथा वसीयत को प्रदर्श करवाना आवश्यक है। जब तक वसीयत प्रदर्श नहीं की जाती तब तक वसीयत पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा असल वसीयत को प्रदर्श नहीं करवाया, ना ही किसी गवाह ने उसे प्रदर्श करवाया इसलिए कानूनन वसीयत को नहीं माना जाना चाहिए था। दिनांक 26.06.2020 को जो आदेश पारित किया गया उसमें अपीलांट को सुना नहीं तथा बिना सुने आदेश पारित किया गया है तथा इसी जमीन के सम्बन्ध में एक इन्तकाल 02.11.2021 को पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपीलांट ने 02.12.2021 को अपील की गयी थी। अपील करने के बाद पता चला कि बाकी जमीन के सम्बन्ध में 26.06.2020 को इन्तकाल किया गया है जिसकी नकल की दरखास्त दी तो पटवारी हल्का द्वारा यह कहा कि अभी पंचायत के चुनाव चल रहे है। चुनाव के बाद नकल दी जावेगी। नकल मिलते ही अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। उस प्रार्थना पत्र का कोई काउन्टर या शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया इसलिए जानकारी से अपील अन्दर मियाद है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :–

1. यह कि रेस्पोडेन्टगण चक 16 जी सागरवाला के निवासी है।
2. यह कि प्रार्थीगण की माता श्रीमती शांताबाई पत्नी हुकम सिंह पुत्र शेरसिंह के नाम से चक 16 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.200 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से भिरावां बाई पत्नी शेर सिंह 1.550 हैक्टेयर हुकम सिंह पुत्र शेर सिंह 3.100 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।
3. यह कि भिरावां बाई पत्नी शेर सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी दबाव के दिनांक 28.02.1992 को 1/4 हिस्सा अपने पोते राजसिंह, नक्षत्र सिंह, आत्मा सिंह, जसवन्त सिंह के नाम से रजिस्टर्ड वसीयत रूबरू गवाहान हरबंस लाल पुत्र शिव नारायण व अशोक कुमार पुत्र बिशन दास के समक्ष हस्ताक्षर कर उप पंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष पेश होकर पंजीबद्व करवायी। इसी प्रकार हुकम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी दबाव के दिनांक 07.10.1994 को चक 16 जी छोटी मुरब्बा नम्बर 40 के 12.1/2 बीघा कृषि भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत रूबरू गवाहान जगदीश पुत्र छज्जूराम व श्यामलाल पुत्र चंबाराम उप–पंजीयक चूनावढ के समक्ष पेश होकर पंजीबद्व करवायी गयी।
4. यह कि भिरावां बाई की मृत्यु दिनांक 28.02.1997 व हुकम सिंह की मृत्यु दिनांक 13.03.1996 को हो चुकी है।
5. यह कि दिनांक 01.08.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष भिरावां बाई द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 28.02.1992 व हुकम सिंह द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 07.10.1994 की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश कर वसीयत अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मूल प्रार्थना पत्र उप–तहसीलदार चूनावढ को भेजकर पटवारी हल्का जोधेवाला से रिपोर्ट मंगवायी गयी। पटवारी द्वारा दिनांक 11.10.2019 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार को भिजवायी गयी।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

6. यह कि तहसीलदार द्वारा वसीयत से सम्बन्धित तमाम विधिक प्रकियाओं को अपनाते हुए पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी गयी तथा वसयीत के सम्बन्ध में आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करने के बाबत सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में जारी करने का निर्देश दिया गया जिस पर दिनांक 08.11.2019 के समाचार पत्र दैनिक जनमार्ग में सूचना छपवायी गयी। समचार पत्र की असल प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। दोनों वसीयतकर्ताओं की वारिस सत्यबाई उर्फ शांतिबाई के सहमति के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये गये। भिरावां बाई द्वारा की गयी वसीयत के गवाह अशोक कुमार के बयान लेखबद्व किये गये जिसमें अपने हस्ताक्षर होने व भिरावां बाई के अंगूठा निशान की पहचान की गयी। दूसरे गवाह हरबंस लाल पुत्र शिवनारायण की मृत्यु हो गयी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया। इसी प्रकार हुकम सिंह द्वारा की गयी वसीयत के गवाह श्याम लाल पुत्र चंपाराम के बयान कलमबद्व कर पत्रावली के साथ शामिल किये गये व दूसरे गवाह जगदीश की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर आयी समग्र साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन कर दोनों रजिस्ट्रर्ड वसीयतों का इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 22.06.2020 को विधिनुसार पारित किया गया है।

7. ह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व के आदेशत्मक नियमों का पूर्ण रूप से विधिनुसार पालन किया गया है।

8. यह कि अपीलाण्टा द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतों को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में कोई चाराजोही आज तक नहीं की गयी है। रजिस्टर्ड वसीयतों को निरस्त करने का अधिकार केवलमात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है।

9. यह कि यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हुकम सिंह के पास 12.1/2 बीघा कृषि भूमि कैसे आयी। हुकम सिंह को कौशल्या बाई पुत्री शेर सिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 40 में 1/4 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 15.10.1991 को अपने सगे भाई हुकम सिंह के पक्ष में हक छोड़ा गया। इस प्रकार हुकम सिंह के पास 12–1/2 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई।

10. यह कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा व 15 में पुरूष व नारी की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम बने हुए है जिससे स्पष्ट है कि यदि पुरूष या हिन्दु नारी बिना वसीयत छोडे मृत्यु को प्राप्त होते है तो उनकी सम्पति धारा 8 व 15 के अनुसार न्यायगत होगी और यदि वसीयत लिखी गयी है तो सम्पति वसीयतनुसार न्यागत होगी। उक्त प्रकरण में भी रजिस्ट्रर्ड वसीयतों के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो विधिनुसार उचित एवं वैध है।

11. यह कि अपीलांटा द्वारा अपनी अन्दर मियाद पेश नहीं की गयी है ना ही अपीलांटा द्वारा देरी होने का कोई संतोषजनक कारण बताया है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के बहुत सारे उदाहरण है कि जब तक प्रार्थी देरी का स्पष्ट कारण नहीं दर्शाता है तो अपील को किसी भी सूरत में अन्दर मियाद नहीं माना जा सकता। अपीलांटा द्वारा पेश मियाद के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में अंकित किया गया दिनांक 15.12.2021 को चुनाव समाप्त होने के बाद प्रार्थी इन्तकाल की नकल लेने गया तो प्रार्थी को दिनांक 16.11.2021 को इंतकाल की नकल दी गयी। उक्त दोनों तारीखे विरोधाभाषी है जो मानने योग्य नहीं है। इस आधार पर भी अपील खारिज होने योग्य है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टा संव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 जो उप तहसीलदार चूनावढ के वसीयत प्रकरण संख्या 06/2019 अनवानी राज सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ द्वारा नोटिस को साया **"अखबार जनमार्ग दिनांक 15 नवम्बर 2019 में किया गया है"** परन्तु वसीयतकर्ता के वारिसान को जरिये नोटिस तलब नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिए था क्योंकि अखबार किसी जगह पहुंचता है किसी जगह नहीं और कोई अखबार पढता है और कोई नहीं भी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वसीयतकर्ता के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वारिसान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलांटा जोकि वसीयतकर्ता हुकम सिंह की वारिस है जिसे न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था जिसे सुना नहीं गया है। फलस्वरूप अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार चूनावढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

राजरानी उर्फ राजकौर बनाम राज सिंह वगैरा

अपील प्रकरण संख्या 03/2022

8.07.2022

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता उपसिथत। रेस्पोडेन्ट ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अपील उप तहसीलदार चूनावढ के आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 के खिलाफ पेश की गयी थी जो दर्ज रजिस्टर करके दोनो पक्षों को सुनने के बाद जनाबवाला की अदालत में दिनांक 04.07.2022 को अपील आशिंक रूप से स्वीकार करके मामला उप तहसीलदार चूनावढ़ को रिमाण्ड किया गया है, लेकिन सहवन से उप तहसीलदार का इन्तकाल संख्या 451 दिनांक 26.06.2020 को निरस्त लिखना सहवन से रह गया है, चूंकि जब मामला रिमाण्ड किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करके ही मामला रिमाण्ड किया जाता है लेकिन निर्णय में पूर्व का आदेश निरस्त किया जाता है ऐसा सहवन से रह गया है। रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी) द्वारा दिनांक 07.07.2022 को नकल ली तो पता चला कि सहवन से पूर्व का आदेश निरस्त करना अंकित नहीं लिखा गया है जो लिखा जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 04.07.2022 में उप तहसीलदार का आदेश दिनांक 26.06.2020 का इन्तकाल संख्या 451 को निरस्त करके मामला उप तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने का संशोधन आदेश जारी किया जावें।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अनवानी अपील प्रकरण में आदेश दिनांक 04.07.2022 पारित करते समय निर्णय के अन्तिम पैरा में प्रकरण रिमाण्ड करते समय उप तहसीलदार चूनावढ का आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना अंकित किया जाना सहवन से लिखा जाना रह गया था। अतः आदेश दिनांक 04.07.2022 में संशोधन किया जाकर अंकित किया जाता है कि **उप तहसीलदार चूनावढ का आदेश दिनांक 26.06.2020 इन्तकाल संख्या 451 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना अंकित किया जाना पढा जावें** । आदेश का अन्य भाग यथावत रहेगा। संशोधित आदेश दिनांक 08.07.2022 को सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर